प्रपत्र–4

(देखें विनियम 6)
(राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र)

सं०सं०–16/एम०1–10/2020 – 955(आ०चि०)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल,
चिक्सी, पालीगंज, पटना–801110

पटना, दिनांक :– 30-10-2021

विषय :– बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में निम्न तथ्यों के आलोक में वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है :–

1. राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्बी संस्थानों की संख्या–14, (चिकित्सा) एवं 11 (आयुर्वेदिक), कुल–25 संस्थान।
2. उपलब्ध सीटों की संख्या–950(चिकित्सा) + 424 (आयुर्वेद), कुल–1374.
3. राज्य परिषद्/भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या–34035.
4. राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद सिद्ध, यूनानी एवं तिब्बी चिकित्सकों की संख्या–1688.
5. राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण/सुदूर क्षेत्रों में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या–चिकित्सक + शिक्षक = 667.
6. राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्बी चिकित्सकों की संख्या–अनुपलब्ध।
7. राज्य में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्बी चिकित्सकों एवं जनसंख्या का अनुपात–50000:1.
8. चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जनशक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आएगा।

   राज्य आयुर्वेद क्षेत्र में बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) पाठ्यक्रम की पढ़ाई एवं प्रशिक्षण संस्थानों की कमी के कारण आयुर्वेद के स्नातकीय प्रशिक्षित चिकित्सकों की भारी कमी है। नवीन संस्थान प्रारम्भ होने के बाद स्नातकीय चिकित्सकों की सेवा आयुर्वेद प्रक्षेत्र में उपलब्ध होगी।
9. छात्र, जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित यदि कोई है का उल्लेख करें – हाँ।

D:\Yadav Ji\Letter.doc

10. प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/प्रवेश क्षमता बढ़ाने/नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य –

आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति लोगों में बढ़ रही जागरूकता एवं रूझान से प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कमी की पूर्ति के लिए इस महाविद्यालय में बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का पूर्ण औचित्य है ताकि जन आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

11. प्राप्य आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी, तिब्बी चिकित्सक एवं जनसंख्या अनुपात–2500 : 1

निदेशक, हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, चिक्सी, पालीगंज, पटना–801110 द्वारा इस कॉलेज में बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा इस संस्था को बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र 100 सीटों के साथ इस शर्त्त के साथ जारी किया जाता है कि संस्था इस पाठ्यक्रम के संचालन के लिए सी०सी०आई०एम० (भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) के निरीक्षण के पूर्व अपेक्षित सभी संसाधन की व्यवस्था कर लेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि –

(क) आवेदित संस्था के पास–100 शय्याओं वाला अस्पताल कार्यशील है, जिसकी स्थापना वर्ष अगस्त 2018 से संचालित है।

(ख) आयुर्वेद प्रक्षेत्र में बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) पाठ्यक्रम 100 सीटों की क्षमता के साथ प्रारम्भ करना जनहित में वांछनीय है।

(ग) हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, चिक्सी, पालीगंज, पटना–801110 में बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है।

यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) पाठ्यक्रम में नामांकन की स्वीकृति सी०सी०आई०एम० (भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) एवं आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त किये जाने के पूर्व इस पाठ्यक्रम में नामांकन नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

30/10/21

(अरविन्दर सिंह)
सरकार के विशेष सचिव